न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी— सुधारानी मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
121/2024	02.05.2024	15/1/26

अमृतलाल पुत्र तेजराम, मीना निवासी जीवली तह0 वजीरपुर ——प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तहसील वजीरपुर ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :— श्री हरिशंकर शर्मा, एडवोकट, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम जीवली मे प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं काश्तकारी की भूमि ख0न0 1261/1703 रकबा 0.18 है0, ख0न0 1763/421 रकबा 0.05 है0 स्थित है। इस भूमि से किसी अन्य का कोई वास्ता नही है। प्रार्थी की इस भूमि के आस पास के अन्य खातेदार भूमि की डौल मेड को आये दिन क्षतिग्रस्त करते रहते है। जिससे प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 1261/1703 रकबा 0.18 है0, ख0न0 1763/421 रकबा 0.05 है0 ग्राम जीवली का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी संवत 2074—77 खाता संख्या 06, ग्राम जीवली, फोटोकॉपी नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 09.10.2024 से स्पष्ट है कि प्रार्थी को उसकी भूमि ख0न0 1261/1703 रकबा 0.18 है0, ख0न0 1763/421 रकबा 0.05 है0 ग्राम जीवली का सीमाज्ञान कराया जा चुका है परन्तु प्रार्थी का पडौसी काश्तकारों से विवाद बने रहने की संभावना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 16:29:17 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी भूमि ख0न0 1261/1703 रकबा 0.18 है0, ख0न0 1763/421 रकबा 0.05 है0 ग्राम जीवली की पत्थरगढी कराने के अधिकारी हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर को आदेश दिया जाता है कि वह मौके पर स्वयं जाकर पडौसी खातेदारों की उपस्थिति में प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि ख0न0 1261/1703 रकबा 0.18 है0, ख0न0 1763/421 रकबा 0.05 है0 ग्राम जीवली पर पत्थरगढी करावें।

निर्णय की पालना हेतु निर्णय की सत्य–प्रतिलिपि तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/1/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 15:29:17 IST
Reason: SelfAttested